FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत .... मुकाम ....

दौलाराम .... बनाम इन्द्राराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा० भा० इ० 111,128 RLRA वगैरा नं. 303/19 सन 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/09/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम जाखड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLRA राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 21/10/19 को पेश हो।	
21/10/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील अदम तामील प्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दीगर कार्य में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 24/12/19 को पेश हो।	
24/12/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील अदम तामील प्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी अवकाश पर पधारे हुए हैं अतः मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 10/02/2020 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:49:46 IST
Reason: SelfAttested

10/02/2020 अधिवक्तागण हड़ताल में चल रहे है। विपक्षीगणों के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 12/02/2020 को पेश हो।

12/02/2020 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षी संख्या-1 की ओर से वकील श्री घमण्डाराम साहब द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या-8 व 9 की ओर से अण्डर टेकिंग ली गई शेष विपक्षीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित। जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है अतः पत्रावली विपक्षी संख्या-1 के जवाब व विपक्षी संख्या-8 व 9 के वकालतनामा व जवाब हेतु दिनांक 18/02/2020 को पेश हो।

अण्डरटेकिंग विप. 8 व 9 की ओर

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

18/02/20 प्रार्थी व विपक्षी संख्या-1, 8 व 9 के वकील उपस्थित। विपक्षी संख्या-1, 8, 9 के अधिवक्ता। जवाब पेश नहीं करना चाहते है इसलिए विपक्षी संख्या-1, 8 व 9 का जवाब बन्द किया जाता है। शेष विपक्षीगण अनुपस्थित। जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही पूर्व में अमल में लाई गई अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 20/04/20 को पेश हो।

मैं विपक्षी संख्या 1, 8 व 9 का जवाब नहीं देना चाहता

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

20/04/20 पत्रावली आज पेश हुई। कोविड-2019 के चलते कोई नहीं लिया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 07/09/20 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:49:46 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/09/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता बहस अर्जेन्ट करना चाहते हैं। केस कुरेन्ट किया जाकर पत्रावली दिनांक 13/10/2020 को पेश हो।	
13/10/2020	प्रार्थी वकील उप0। प्रार्थी वकील विरुद्ध पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण की भूमि सेक्टर से आर हुई है प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण की भूमि के बीच पुरानी मेड़ एवं कच्चे बने हुए हैं जो आंधियों की वजह से बिखर गए है। जिस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पाता है। जिस कारण वर्षात के दिनों में पक्षकारान के बीच तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत का सही ज्ञान करने हेतु पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का पत्थरगढ़ी आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी आदेश दिया जावे। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर एवं सम्बन्धित भू. अ. निरीक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खेत की पत्थरगढ़ी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा करवाकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज रजिस्टर काम हो दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:49.46 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर व
अहकाम इ
हुक्म की ता
में जारी हुए

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

कमांक / वाद / 2020 / 856 दिनांकः– 21/10/2020

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. दौलाराम पुत्र डुगंराराम जाति जाट निवासी चौरालिया तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर		1. कानाराम पुत्र रूगाराम वगैरा निवासी चौरालिया तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 303 / 19

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा चौरालिया पटवार हल्का शहर तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 364 / 271, 368 / 271 रकबा 21.00, 34.03 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वंय या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपार्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक / वाद / 2020 / 857–61 दिनांकः– 21/10/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी शहर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री दौलाराम
4. विप्रार्थीगण श्री कानाराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा / बायतु / नागाणा ।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:49:46 IST
Reason: SelfAttested